आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
04/07/2022	**प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **एस0 ए0 आर0 पुनरीक्षण 122/2012** **विगल पाहन बनाम् श्रीमती सुचित्रा शर्मा एवं अन्य** प्रश्नगत् पुनरीक्षण आवेदन अपर समाहर्त्ता, राँची द्वारा अपील वाद संख्या–30-R15/2010-11 एवं 31-R15/2010-11 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। प्रश्नगत् वाद में उभयपक्ष लगातार अनुपस्थित रहे है। आवेदक के तरफ से अंतिम हाजिरी दिनांक–08.08.2017 को दर्ज की गयी थी। विपक्षियों को नोटिस प्रेषित किये गये थे, किन्तु उक्त नोटिस के तामिला प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो सके। स्पष्टतः उभयपक्षों को इस वाद के निष्पादन में कोई अभिरूचि नहीं है। इस न्यायालय द्वारा दिनांक–10.03.2022, 24.03.2022, 20.06.2022 को सुनवाई हेतु लगातार मौका दिया गया, किन्तु आवेदक न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये। अतः उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर वाद को निष्पादित करने का निर्णय लिया गया। प्रश्नगत् मामले में भूमि वापसी वाद संख्या–95/2000–01 में भूमि वापसी का आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध उपायुक्त, राँची के समक्ष अपील आवेदन 98-R15/2001-02 दायर किया गया। क्योंकि भूमि वापसी का आदेश बिना उचित सुनवाई के पारित किया गया था, अतः उपायुक्त द्वारा उसे रद्द करते हुये पुर्नप्रेषित किया गया। इसके पश्चात् दिनांक–07.07.2010 को विशेष पदाधिकारी द्वारा मामले की पुनः सुनवाई करते हुये भूमि वापसी का आदेश पारित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध विपक्षियों के द्वारा अपर समाहर्त्ता के न्यायालय में 02 अपील दायर किये गये, जिसमें भूमि वापसी के आदेशों को रद्द कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में पुनरीक्षण वाद दायर किया गया है। सभी विपक्षियों के द्वारा प्रश्नगत् भूमि को वर्ष–1990 के पश्चात् क्रय किया गया है। प्रश्नगत् भूमि का आर0 एस0 खतियान एस0 के0 अनवर अली के नाम से कायमी दर्ज है। आवेदक यह दावा करते है कि प्रश्नगत् भूमि उनके पूर्वजों द्वारा वर्ष–1944 में क्रय किया गया था, जिस कारण यह भूमि आदिवासी भूमि में परिवर्तित हो गयी तथा उक्त भूमि के कास्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू होते है। विपक्षियों द्वारा प्रश्नगत् भूमि को निबंधित दस्तावेज के माध्यम से क्रय किया गया है। खतियानी रैयत शेख अनवर अली के मृत्यु के पश्चात् उनके वारिसों के द्वारा आपस में भूमि का बंटवारा हुआ है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि यदि वर्ष–1944 में प्रश्नगत् भूमि	

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
	आवेदकों के पूर्वजों द्वारा क्रय की गयी थी, तो उनके द्वारा उक्त भूमि के दाखिल–खारिज, लगान–निर्धारण आदि क्यों नहीं की गयी। ऐसा प्रतीत होता है कि 1944 के इस कथित विक्रय पत्र पर कभी वास्तविक कार्रवाई नहीं की गयी, जिससे मूल रैयत के वंशजों द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को प्रश्नगत् भूमि की बिक्री की गयी है। आवेदकों के द्वारा वर्ष–1995 में युसूफ अंसारी एवं अन्य के द्वारा उन्हें उक्त भूमि से जबदस्ती उच्छेद किये जाने का उल्लेख किया गया है, किन्तु ऐसी घटना के पश्चात् उनके द्वारा कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गयी तथा वर्ष–2000 में आवेदक के भाई करमा पाहन द्वारा भूमि वापसी का वाद दायर किया गया। प्रश्नगत् भूमि के आदिवासी रैयती भूमि होने के संबंध में कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, अपितु यह भूमि शेख अनवर अली के नाम से कायमी दर्ज है। आवेदकों के द्वारा प्रश्नगत् भूमि के दाखिल–खारिज अथवा लगान रसीद उपलब्ध नहीं कराये गये है, जबकि विपक्षियों के नाम से भूमि के नामान्तरण एवं लगान–रसीद भी निर्गत है। उक्त नामान्तरण के समय भी आवेदकों के द्वारा कभी आपत्ति दर्ज नहीं की गयी। भूमि वापसी वाद संख्या–31/97 के आवेदक के भाई करमा पाहन द्वारा मो0 जाकिर एवं अन्य के विरूद्ध दायर किया गया था। उक्त आदेश के अवलोकन से पुनः यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत् भूमि आदिवासी रैयती भूमि नहीं है तथा वर्ष–1944 में कथित केवाला के पश्चात् उक्त भूमि का वास्तविक हस्तांतरण नहीं हुआ था। इसी आधार पर उक्त भूमि वापसी वाद भी खारिज किया जा चुका था। इसके पश्चात् पुनः उसी भूमि के लिये वाद संख्या–95/2000–01 दायर किया गया, जो रेस–जूड़ीकांटा से भी प्रभावित है। वर्णित परिस्थिति में इस पुनरीक्षण आवेदन को मान्य करने का कोई आधार नहीं है। अतः इसे खारिज किया जाता है। आदेश की एक प्रति अपर समाहर्त्ता, राँची को प्रेषित करें। लेखापित एवं संशोधित प्रमण्डलीय आयुक्त प्रमण्डलीय आयुक्त	

Digitally signed by NITIN MADAN KULKARNI
Date: 2022.09.09 13:34:27 +05:30
Location: 192.168.1.40